



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221462
CG-DL-E-31082020-221462

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942

No. 2621]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

का.आ. 2952(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट NH160 New के किमी 102.25 किमी से 113.44 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH160 New तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	सब-डिविशनल अफसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH160	महाराष्ट्र	पुणे	बारामती	<table><tr><td>1</td><td>उण्डवाडी कडे पत्थर</td></tr><tr><td>2</td><td>बरहानपुर</td></tr></table>	1	उण्डवाडी कडे पत्थर	2	बरहानपुर
1	उण्डवाडी कडे पत्थर									
2	बरहानपुर									

राजेश गुप्ता, उप सचिव